(130)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ भोपाल

R 4374-PBR/16 प्र.कं.- /

1. भारत सिंह पुत्र मूंगाराम
आयु लगभग 38 वर्ष
2. चंदन सिंह पुत्र मूंगाराम
आयु लगभग 35 वर्ष
दोनों कृषक एवं निवासी–ग्राम पिपलिया
बाज खां तहसील हुजूर
जिला भोपाल म0प्र0 --- निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

बाला प्रसाद पुत्र श्री कुंजीलाल
आयु वयस्क निवासी–पूजा कॉलोनी
के पास गोया कॉलोनी करौंद
भोपाल म0प्र0 --- रेस्पॉडिन्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

निगरानीकर्तागण अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील हुजूर पीठासीन अधिकारी श्री सुनील शर्मा द्वारा प्रकरण कमांक–32/बी–121/16–17 पारित आदेश दिनांक 20/09/16 एवं कब्जा प्रतिवेदन दिनांक 05/10/2016 से क्षुब्ध एवं असंतुष्ट होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करते हैं :-

(1)

आरतीसिंह आदि x वालीप्रसाद

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 4354-PBR / 16 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29—12—2016	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 20—9—2016 एवं 5—10—2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 20—9—2016 को प्रकरण कमांक 3/अ—70/15—16 में पारित आदेश दिनांक 5—1—2016 के कियान्वयन हेतु प्रकरण दर्ज कर उक्त आदेश के कियान्वयन में अनावेदक को कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	